आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

प्राधिकरण के बकायेदारों/आवंटियों के लिये विशेष सूचना

प्राधिकरण के सम्बन्धित आवंटियों को सूचित किया जाता है कि आगरा विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न सम्पत्ति जैसे भवन, भूखण्ड, दुकान एवं अन्य सम्पत्ति के मद में देय बकाया धनराशि एवं किरायेदारों द्वारा किराये की देय धनराशि नियमानुसार जमा नही की गयी है, जिसके फलस्वरूप उनकी ओर काफी बड़ी धनराशि बकाया है। धनराशि जमा कराने हेतु बकायेदारों को मॉग पत्र एवं पर्याप्त सूचना भेजी जा चुकी है। शासन द्वारा आवंटियों को ब्याज में छूट दिये जाने हेतु **ओ.टी.एस. योजना** दिनांक 06.03.2020 से 31.12.2020 तक लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत दण्ड ब्याज से छूट प्रदान की गयी थी किन्तु फिर भी बकायेदार आवंटियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नही किया गया।

अतः प्राधिकरण के समस्त बकायेदारों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि वह अपनी सम्पत्ति के मद में देय बकाया धनराशि प्रत्येक दशा में दिनांक 15.07.2021 तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में यथावॉछित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवंटी का ही होगा।

25/06/21

गरिमा सिंह	राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी	डा0 राजेन्द्र पैंसिया(आई.ए.एस.)
विशेष कार्यधिकारी	सचिव	उपाध्यक्ष